इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. ई-5-751-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) डॉ. पवन कुमार शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 जुलाई 2011 से 1 अगस्त 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. पवन कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री स्वाती मीणा, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में डॉ. पवन कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्र. ई-5-375-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जी. पी. सिंघल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को 6 से 16 अगस्त 2011 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंघल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-390-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती लवलीन कक्कड़ आयएएस., आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर, आयएएस., कलेक्टर, शाजापुर को दिनांक 1 से 11 अगस्त 2011 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर की अवकाश की अवधि में श्री शेखर वर्मा, राप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली, एन. वायंगणकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

Bhopal the 30th July 2011

No. E-5-502-IAS-Leave-5-1.—Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka, IAS (1986), Managing Director, Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Corporation & State Civil Supplies Corporation to avail Ex-India earned leave of 16 days from 3rd September, 2011 to 18th September, 2011.

(2) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as officiating Managing Director, Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Corporation & State Civil Supplies Corporation, temporarily, until further orders.

(3) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.

(4) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave, he would have continued on this post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

फा. क्र.-17-(ई)-2011-इक्कीस-ब (दो).—मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(2) के साथ पठित मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3(2)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से श्री शरद वर्मा, अधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है.

F. No. 17(E)-2011-XXI-B-(Two).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Legal Services Authority Act, 1987 read with clause (j) of sub-rule 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authority Rules, 1996, The State Government, with due consultation of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Shri Sharad Verma, Advocate, High Court of Madhya Pradesh as Member of State Legal Services Authority, Jabalpur for a period of two years from the date of his joining.

फा. क्र. 17(ई)-81-2005-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रमेश कुमार सोनी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2011

फा. क्र. 1(बी)-30-04-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शशि तिवारी पत्नी श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रीवा सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2011

फा. क्र. 1(सी)-16-2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब-(दो).— राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री कृष्ण वल्लभ त्रिपाठी, अधिवक्ता मंदसौर को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

(2) उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

(3) पैनल अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक को, कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जावेगा.

(4) नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब-(दो) दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

(5) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(6) देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी)-16-2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत श्री भगवान सिंह चौहान, अधिवक्ता को जिला मंदसौर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

(2) उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

(3) नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब-(दो) दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

(4) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(5) देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र.-डी-15-15-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का मुरैना जिले की तहसील मुरैना में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये टप्पा बानमोरकला में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र.-डी-15-15-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2011

No. D-15-15-2011-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Tappa Banmorekala for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Murena of Murena district.

ANY objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र.-डी-15-15-2011-चौदह-3.—चूंकि, मध्यभारत कृषि उपज मंडी विधान संवत 2009 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 31 के अधीन जारी की गई व्यापार तथा खाद्य विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून 1953 द्वारा मुरैना जिले की मुरैना तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार द्वारा उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 94 ग्राम जो जिला मुरैना की तहसील मुरैना का टप्पा बानमोरकला में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से विर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची

1. पहाड़ी, 2. जखौदा, 3. सपचौली, 4. बामोरकला, 5. बामौरखुर्द, 6. जयपुर उर्फ नयागाँव, 7. फूलपुर, 8. जैतपुर नूराबाद, 9. सेवा, 10. वारे का पुरा, 11. पमाया, 12. सिकरोड़ी, 13. विजयपुरा, 14. नूराबाद, 15. तिघरा, 16. महटोली, 17. गोवरा, 18. कनकटपुरा, 19. परोली, 20. करोला, 21. पिनावली, 22. दौलसा, 23. जयनगर, 24. बनी, 25. बरेंडा, 26. चुरहेला, 27. लभनपुरा, 28. जारौनी, 29. जरेरूआ, 30. करूआ, 31. जरारा, 32. लोहगढ़, 33. दौरावली, 34. बमूरबसई, 35. शेरपुर, 36. धनेला, 37. गोलेन्दरा, 38. गुलेन्द्री, 39. नाउपुरा, 40. खरगपुर, 41. मड़राई, 42. भर्राड, 43. इन्दुर्खी, 44. खिरावली, 45. रन्चौली, 46. बरईपुरा, 47. कोतवाल, 48. नाका, 49. सांगौली, 50. बिचौला, 51. नरसिंहपुर, 52. पिलुआ, 53. खेरा, 54. बशहरी, 55. मदनबसई, 56. गिरगौनी, 57. रितौली, 58. लोलकपुर, 59. बिसेंठा, 60. बमरौली, 61. चककिशनपुर, 62. हुरहाई, 63. अरदौनी, 64. भैंसोरा, 65. उदियापुरा, 66. प्रतापपुरा, 67. सिलगिला, 68. अम्हलेड़ा, 69. उटीला, 70. सपदलपुर, 71. गादरा, 72. मितावली, 73. टीकरी, 74. उराहना, 75. मलखानपुरा, 76. खेरियाचुनेटी, 77. हरगवां, 78. खरिका, 79. रिठौराकलॉ, 80. पडावली, 81. बक्सीपुरा, 82. भटपुरा डांग, 83. नौगांव 84. बड़वारी, 85. बस्तपुर, 86. मवई, 87. नरेश्वर, 88. ऐंती, 89. बरहावली, 90. पिपरसेवा, 91. गड़ाजर, 92. भाखरी, 93. रान्सू, 94. नयागांव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र.-डी-15-15-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल

के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July, 2011

No. D-15-15-2011-XIV-3.—WHEREAS, by the Commerce & Food department Notification No. 145-13 Dated 9th June 1953 issued under the Section 31 of the Madhya Bharat Agricultural produce market Act, Samvat 2009 (No. 17 of 1952) the former Madhya Bharat Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area all Revenue & Forest Village of Murena, Tehsil Murena, District (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by split up here with the area comprising of 94 Villages situated in the following list of Tappa Banmorekala of Murena Tehsil of Murena District. (here in after referred to as the "said area.").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the "said area.".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

LIST

1. Pahadi, 2. Jakhouda, 3. Supchauli, 4. Bamorkala, 5. Bamorkhurd, 6. Jaipur urf Nayagawon, 7. Phulpur, 8. Jaitpur Nurabad, 9. Seva, 10. Ware ka pura, 11. Pamaya, 12. Sikrodi, 13. Vijaypura, 14. Nurabad, 15. Tighra, 16. Mahtoli, 17. Gobra, 18. Kankatpura, 19. Paroli, 20. Karola, 21. Pinawali, 22. Daoulsa, 23. Jaynagar, 24. Bani, 25. Barenda, 26. Churhela, 27. Labhanpura, 28. jarauni, 29. Zarerua, 30. Karua, 31. Jarara, 32. Lohgarh, 33. Daurawali, 34. Bamourbasai, 35. Sherpur, 36. Dhnela, 37. Golendra, 38. Gulendri, 39. Naupura, 40. Kharagpur, 41. Madrai, 42. Bhrrad, 43. Indurkhi, 44. Khirawali, 45. Ranchouli, 46. Baraipura, 47. kotwal, 48. Naka, 49. Sangouli, 50. Bichoula, 51. Narsinghpur, 52. Pilua, 53. Khera, 54. Bashari, 55. Madanbasai, 56. Girgouni, 57. Ritouli, 58. Lolakpur, 59. Bisentha, 60. Bamrouli, 61. Chakkishanpur, 62. Hurhai, 63. Ardouni, 64. Bhaisora, 65. Udiyapura, 66. Pratappura, 67. Silgila, 68. Ambhleda, 69. Utila, 70. Sapdalpur, 71. Gadra. 72. Mitawali, 73. Teekri, 74. Urahna, 75. malkhanpura, 76. Kheriyachunati, 77. Hargawa, 78. Kharika, 79. Rithourakala, 80. Padawali, 81. Bakshipura, 82. Bhatpura Dang, 83. Naugawon, 84. Badwari, 85. Bastpur, 86. Mawai, 87. Narashwar, 88. Anti, 89. Barhawali, 90. Piparseva, 91. Gadajar, 92. Bhakhari, 93. Ransou, 94. Nayagawon.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. एफ-03-04-2007-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित जेलों के लिये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये व्यक्तियों को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इन नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है:—

अनु-क्रमांक	जेल का नाम	अशासकीय संदर्शक का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1.	केन्द्रीय जेल, सागर	श्री अभिषेक भार्गव, पं. श्री गोरेलाल भार्गव, कॉम्प्लेक्स, गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).
2.	उप जेल, रहली	श्री कृष्णकांत खरे, बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा जेलों के लिये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये व्यक्तियों को अशासकीय संदर्शक नियुक्त करने के संबंध में तालिका-2 के अनुक्रमांक 1 के समक्ष जेल का नाम "केन्द्रीय जेल सागर" के स्थान पर "उप जेल रहली" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. पीटर, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. एफ-5-1-2011-बत्तीस.—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1528(अ), दिनांक 4 जुलाई 2011 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1553(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का गठन निम्नानुसार किया गया है:—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)

1. श्री सुरेश चन्द्र जैन, अध्यक्ष
   30, निशात कॉलोनी, भोपाल-462003.

2. श्री बी. के. चुघ, सदस्य
   फ्लैट नं. 145, सेक्टर ई-7, अवंतिका
   क्लब के सामने, बस स्टाप नं. 11 के
   नजदीक, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016.

3. डॉ. वी. सुब्रामानियन, सदस्य
   218, मुनीरका विहार, नई दिल्ली-110067.

4. श्री वी. आर. खरे, सदस्य
   मार्फत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल,

5. डॉ. मोहिनी सक्सेना, सदस्य
   भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र, रायसेन रोड,
   आनन्द नगर, भोपाल-462021.

6. श्री के. पी. न्याती, सदस्य
   डी-1-सी/56-ए, जनकपुरी,
   नई दिल्ली-110058.

7. श्री ए. पी. श्रीवास्तव, सदस्य
   ई-8/52, रेल्वे हाउसिंग सोसाइटी,
   अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016.

8. श्री चन्द्रकान्त इराना सम्बुतवाद कृष्णा, सदस्य
   प्लाट नं. 8, वैंकटेश को-ओपरेटिव
   हाउसिंग सोसाईटी, जवाहर कालोनी,
   औरंगाबाद-431005.

9. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव
   मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

(2) उपरोक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 11 नवम्बर 2013 तक रहेगा.

(3) उक्त समिति के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का. आ. 49(अ), दिनांक 8 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.

(4) उक्त समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/ भत्ते/सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-5-4-2006-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2008 के अनुसार देय होंगे.

(5) भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 49(अ), दिनांक 1 जनवरी 2008 की कंडिका 5 एवं कंडिका 10 के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकों एवं कार्य सम्पादन हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल निर्धारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र. एफ-1(ए) 176-97-ब-2-दो.—(1) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु., भोपाल को दिनांक 21 मई 2011 से 27 जून 2011 तक कुल अड़तीस दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 186-91-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2011 के पृष्ठांकन क्र. 4 में त्रुटिपूर्ण अंकित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल एवं पृष्ठांकन क्र. 5 में त्रुटिपूर्ण अंकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पु. मु., भोपाल के स्थान पर क्रमशः कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु., भोपाल पढ़ा जाये.

क्र. एफ-1(ए) 280-76-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जुलाई 2011 के पृष्ठांकन क्र. 2 में श्री हेमन्त सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, म. प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक स्वीकृत कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवकाश घटाने के पश्चात् दिनांक 30 जून 2011 तक त्रुटिवश कुल दो सौ अठहत्तर दिवस का अर्जित अवकाश शेष होना दर्शाया गया था.

(2) अतएव कुल दो सौ अठहत्तर दिवस के स्थान पर श्री हेमन्त सरीन, भापुसे के अर्जित अवकाश खाते में दिनांक 30 जून 2011 तक, कुल दो सौ अट्ठासी दिवस का अर्जित अवकाश शेष होना पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्र. एफ 1(ए) 98-2008-ब-2-दो.—(1) श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को दिनांक 5 से 19 अगस्त 2011 तक कुल पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ का कार्य श्री प्रमोद सिन्हा, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश जिंदल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश जिंदल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश जिंदल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 391-88-ब-2-दो.—(1) श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु.मु., भोपाल, मध्यप्रदेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2011 द्वारा दिनांक 1 से 31 मई 2011 तक, कुल तीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 1 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 10 मई 2011 से 2 जून 2011 तक, कुल चौबीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र.भसकमं-2011-2291.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है:—

''अनुसूची-एक''

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

1. गोकुलदास हॉस्पिटल लिमि.,
   11, डॉ. सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर

प्रभात दुबे, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 584-भू-अर्जन-11. सतना, दिनांक 4 अगस्त 2011

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष

रेवती सीमेन्ट प्राय. लिमि., जिला सतना

द्वितीय पक्ष

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (प्रथम पक्ष) के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-07-2011-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रेवती सीमेंट प्रायवेट लिमिटेड, जिला सतना के मेगा सीमेन्ट प्लांट को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम शाहा एवं रामपुर चौरासी की 28.031 हे. निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेगा सीमेंट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रेवती सीमेंट प्राय. कं. लिमि., की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष, रेवती सीमेंट प्राय. लिमिटेड, जिला सतना का डायरेक्टर हूं.

2. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित दिनांक 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी जिसका पूर्णत: पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

3. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

4. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा.

5. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.

6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

7. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे जो मान्य होगा.

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी.

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें मान्य होंगी.

हस्ता./-
(चिन्मय पालेकर)
डायरेक्टर,
रेवती सीमेंट प्राय.लिमि.कं., सतना.

हस्ता./-
(सुखबीर सिंह)
कलेक्टर,
जिला सतना, मध्यप्रदेश.

साक्षी क्रमांक 1.

हस्ता./-
(पी. कचोले पुत्र आर.डी. कचोले)
सतना.

साक्षी—1. हस्ता./-
नाम ( )
डिप्टी कलेक्टर,
द्वारा कलेक्टर
सतना. (म. प्र.)

साक्षी क्रमांक 2.

हस्ता./-
(पारेश कुमार/रमनिकलाल)
सतना.

साक्षी—2. हस्ता./-
(आर.बी. शर्मा)
संव. वर्ग-3
कलेक्टर, सतना.

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-I,
Ayakar Bhawan (Aanexe) Which Church Road, Indore

ORDER No. 1/2011

Dated. the 15th July, 2011

In exercise of powers conferred by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi under sub-section (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) *vide* Notification No. 228 of 2001 dated 31-07-2001 [S. O. No. 732 (E) and File No. 187/2001-ITA] and amendment to it made vide Notification No. 335 of 2001 [S. O. No. 1064 (E) dated 29-10-2001], and all other powers in this behalf, and in pursuanance of the CIT-I, Indore Notification No. 1/05-06 dated 11-08-2005, and also in compliance to **the INSTRUCTION No. 1/2011 [F. No. 187/12/2010-IT (A-I)], DATED 31-01-2011 issued by the CBDT which lays sown revised monetary limit of cases to be 3 assessed by DCs IT/ACs IT and the ITOs in metro cities and nofussil areas w.e.f. 01-04-2011 and the notification No. CCIT/ Ind/Tech/Jurisdiction/2011-12 dated 20-06-2011 issued by Hon'ble CCIT Indore further adjusting the monetary limit of the cases to be assessed by DCsIT/AcsIT and the ITOs in view of the INSTRUCTION NO. 6/2011 [F. No. 187/12/2010-ITA-I] dated 08-04-2011,** I the Additional Commissioner of Income-tax, Range-I, Indore here by direct that all of my sub-ordinate Assessing Officer [Dy/Asstt. CsIT, ITOs] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer in respect of such territories and/or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl./Joint Commissioner of Incometax-I, Indore, Accordingly these assessing officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/Joint Commissioner of Income-tax Range-I, Indore.

2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction, with a view to allocate the work

amongst all these assessing officers for proper functioning I, the Additional Commissioner of Income-tax Range-I, Indore, hereby direct that these assessing officers as specified in Col. No. 2 of Schedule here to annexed, having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said schedule, shall exercise the powers and perform the function of an assessing officers and/or any other functions as specified therein, in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and/or persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 5 of schedule annexed herto.

3. Further, the ITO Dhar shall contitue to exercise concurrent jurisdiction in respect of TDS work stipulated vide chapter XVIIB & BB of the Income tax Act, 1961 alongwith TRO-1, Indore in respect of work relating to receipt of paper returns, TDS surveys, spot inspections, monitoring or collection etc.

This order is in supercession of all the earlier orders issied in this regard and shall come into force with effect from 01-04-2011.

MANOJ KUMAR
Additional Commissioner of Income-tax, Range-I, Indore.

SCHEDULE

S. No.	Designation of Income tax Authority	Head Quarter	Territorial Area	Persons and classes of person and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DCIT/ACIT-1(1), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) Alphabates "N to Z" of Municipal wards of Indore :— 4- Laxmibai Nagar 7- Bhagat Singh including Industrial area of Sanwer Road. 8- Niranjan Ward. 11- ITI 41- South Tukoganj. 42- Part area of Ward No. 42 consisting of Kibe Compound Nasia Road, Murai Mohalla, Sanyogitaganj, Chhawani Mandi, 1, 2, 3 Tagore Marg.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col. 4 and income/loss returned is above Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is above Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is above Rs. 15 lakhs. (d) All persons being Trust, Waqfs, Society, Local Authority, AOP, BOI, AJP etc. falling within the territorial area assigned under col. 4 as well as territorial jurisdiction of the Addl. Commissioner of Income Tax Range-4 and Range-5 Indore from alphabates "A to M". (e) All cases of Estate Duty falling within the territorial area assigned under Col. 4. (f) Any other case/cases assigned in terms of section 120 (5) of the I. T. Act, 1961. (g) Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DCIT/ACIT-1(1), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	45- Jawahar Marg 51- Lasman Singh Chouhan. 52- Dwarkapuri 53- Sudama Nagar 67- Vishnupuri 69 Rajendra Prasad (b) Depalpur Tehsil of Indore District. (c) Sanwer Tehsil of Indore District. (d) Dhar District	
2.	DCIT/ACIT-1(2), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) Alphabates "N to Z" of Municipal wards of Indore :— 4- Laxmibai Nagar 7- Bhagat Singh including Industrial area of Sanwer Road. 8- Niranjan Ward. 11- ITI 41- South Tukoganj. 42- Part area of Ward No. 42 consisting of Kibe Compound Nasia Road, Murai Mohalla, Sanyogitaganj, Chhawani Mandi, 1, 2, 3 Tagore Marg. 45- Jawahar Marg 51- Lasman Singh Chouhan. 52- Dwarkapuri 53- Sudama Nagar 67- Vishnupuri 69 Rajendra Prasad (b) Depalpur Tehsil of Indore District. (c) Sanwer Tehsil of Indore District. (d) Dhar District	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col. 4 and income/loss returned is above Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/loss returned is above Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is above Rs. 15 lakhs. (d) All persons being Trust, Waqfs, Society, Local Authority, AOP, BOI, AJP etc. falling within the territorial area assigned under col. 4 as well as territorial jurisdiction of the Addl. Commissioner of Income Tax Range-4 and Range-5 Indore from alphabates "N to Z". (e) All cases of Estate Duty falling within the territorial area assigned under Col. 4. (f) Any other case/cases assigned in terms of section 120 (5) of the I. T. Act, 1961. (g) Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Income-tax Officer-1(1), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) Municipal wards of Indore :— 4- Laxmibai Nagar 7- Bhagat Singh including Industrial area of Sanwer Road. 8- Niranjan Ward. 11- ITI 41- South Tukoganj—Alphabates "A to M" (b) Depalpur Tehsil of Indore District. (c) Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory of Indore District.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) & (b) of Col. 4 and income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in item (a) and (b) of Col. 4 and in whose cases income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in item (a) & (b) of Col. 4 in whose cases income/loss returned is less than Rs. 15 lakhs. (d) All cases of persons being Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory as mentioned in item (c) of Col. 4, irrespective of their total income whose first name begins with Alphabate A, B, C. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. **(f)** Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.
4.	Income-tax Officer-1(2), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) Municipal wards of Indore :— 42- Part area of Ward No. 42 consisting of Kibe Compound, Nasia Road, Murai Mohalla, Sanyogitaganj, Chhawani Mandi, 1, 2, 3 Tagore Marg. 45- Jawahar Marg 52- Dwarkapuri 53- Sudama Nagar (b) Sanwer Tehsil of Indore District. (c) Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory of Indore District.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) & (b) of Col. 4 and income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in item (a) & (b) of Col. 4 and in whose cases income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in item (a) & (b) of Col. 4 in whose cases income/loss returned is less than Rs. 15 lakhs. (d) All cases of persons being Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory as mentioned in item (c) of Col. 4, irrespective of their total income whose first name begins with Alphabate D, E, F. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. **(f)** Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Income-tax Officer-1(3), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) Municipal wards of Indore :— 41- South Tukoganj—Alphabates "N to Z" 51- Lasman Singh Chouhan. 67- Vishnupuri 69- Rajendra Prasad (b) Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory of Indore District.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 and income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 and in whose cases income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 in whose cases income/loss returned is less than Rs. 15 lakhs. (d) All cases of persons being Employees of State Government of Madhya Pradesh residing in the territory as mentioned in item (b) of Col. 4, irrespective of their total income whose first name begins with Alphabate G, H, I, J. (e) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I. T. Act, 1961. **(f)** Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.
6.	Income-tax Officer Dhar.	Dhar Madhya Pradesh.	(a) Dhar District	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 and income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. residing within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 and in whose cases income/loss returned is less than Rs. 10 lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in item (a) of Col. 4 in whose cases income/loss returned is less than Rs. 15 lakhs. (d) All cases of persons being Employees of Central & State Government their Boards/undertaking and local authorities as well as Private salaries income residing within the area mentioned in Col. 4. (e) Any other case/cases assigned in terms of section 120(5) of the I. T. Act, 1961. **(f)** Any other case/cases assigned u/s. 127 by the CCIT/CIT.

Explanatory Notes

1. The Jurisdiction over the cases of partners of the firms and Managing Directors/Directors of the companies will vest with the A. O. having jurisdiction over corresponding Firms & Companies respectively irrespective of returned income/loss.

2. If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AOs, the AO having jurisdiction over the director or managing director of the company will have jurisdiction over such persons.

3. For the purpose of this Notification "Residing" means.—

a. In the case if an Individual, place of residence unless otherwise provided in this notification.

b. In this case of an HUF, the place of residence of the Karta and in the case of firm or in other Association of persons or body of individuals or a local authority and all other Artificial Judicial persons.

c. In case of companies the place where the registered office or principal place of business of is located.

d. In case of private Ltd. Companies wherever the jurisdiction is alphabate wise it is clarified that for the purpose of jurisdiction over the case, if the name begins with the word" The", the same shall not be taken into account.

4. Reference to the Municipal Wards made in the Schedule should be read as reference to municipal wards of Municipal Corporation, Indore, as per Notification No. 372 dated 12/08/1994 issued by the Govt. of Madhya Pradesh in this regard.

5. The Jurisdiction of all other direct taxes including that of the interest tax shall be as per the territorial area assigned as per column No. 4 of this schedule.

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-5,
Aykar Bhawan (Main) Which Church Road, Indore

ORDER No. 1/2011

Dated. the 27th July, 2011

In exercise of powers conferred by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi under sub-section (2) of Section 120 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) *vide* Notification No. 228 of 2001 dated 31-07-2001 [S. O. No. 732 (E) and File No. 187-5-2001-ITA] and amendment to it made *vide* Notification No. 335 of 2001 [S. O. No. 1064 (E) dated 29-10-2001], and all other powers in this behalf, conferred by the CIT-II, Indore *vide* Notification No. 1/2005-2006 dated 12/12/2005 (F. No. CIT/Ind/Tech./Jurisdiction/2005-06/) issued by him in supersession of earlier notifications on the subject and also in compliance to the further directions issued by CIT-II, Indore *vide* F. No. CIT-II/Ind/Tech/u/s/ 120/11-12/634 (B) dated 30-06-2011 issued in view of **INSTRUCTION NO. 1/2011 [F. NO. 187/12/2010-IT (A-I)], DATED 31-1-2011 issued by the CBDT which lays down revised monetary limit of cases to be assessed by DCsIT/A CsIT and the ITOs in metro cities and mofussil areas w.e.f. 1-4-2011 and the notification no. CCIT/Ind/Tech/Jurisdiction/2011-12 dated 20/06/2011 issued by Hon'ble CCIT Indore further adjusting the monetary limit of the cases to be assessed by DCsIT/ACsIT and the ITOs in view of the CBDT's INSTRUCTION NO. 6/2011 [F. NO. 187/12/2010-ITA-I], DATED 8-4-2011,** I,the Additional commissioner of

Income Tax Range-5, Indore hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [Dy/Asstt. CsIT, ITOs] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer in respect of such territories and/or such persons of classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl/Joint Commissioner of Incone Tax-5, Indore has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax-II, Indore. Accordingly these Assessing Officers shall have concurresnt jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/Joint Commissiner of Income Tax Range-5, Indore.

02. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction, with a view to allocate the work amongst all these assessing Officers for proper functioning, I, the Additional commissioner of Income Tax Range-5, Indore, hereby direct that these Assessing Officers as specified in Col. No.2 of Schedule here to annexed, having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said schedule, shall exercise the powers and perform the function of an Assessing Officers and/or any other functions as specified therein, in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and/or persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases specified in col, No., 5 of schedule annexed hereto.

03. This order is in supersession of all the earlier orders issued on the subject by this office in this regard and shall come into force with effect from 01-07-2011.

Explanatory Notes

1. The Jurisdiction over the cases of partners of the firms and Managing Directors/Directors of the companies will vest with the A. O. having jurisdiction over corresponding Firms & Companies respectively irrespective of returned income/loss. In case of an individual is director/partner in more than one company/firm, the jurisdiction of such individual shall vest with the Assessing Officer who is having jurisdiction over the company/firm which is having higher Income.

2. If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AOs, the AO having jurisdiction over the director or managing director of the company will have jurisdiction over such persons.

3. For the purpose of this Notification "Residing" means.—

a. In the case if an Individual, place of residence unless otherwise provided in this notification.

b. In this case of an HUF, the place of residence of the Karta and in the case of firm or in other Association of persons or body of individuals or a local authority and all other Artificial Judicial persons, the place where the Head Office and/or principal place of business is located.

c. In case of companies the place where the registered office or principal place of business of is located.

d. In case of private Ltd. Companies wherever the jurisdiction is alphabate wise it is clarified that for the purposes of jurisdiction over the case, if the name begins with the word "The", the same shall not be taken into account.

4. Reference to the Municipal Wards made in the Schedule should be read as reference to municipal wards of Municipal Corporation, Indore, as per Notification No. 372 dated 12/08/1994 issued by the Govt. of Madhya Pradesh in this regard.

5. The Jurisdiction of all other direct taxes including that of the Interest Tax shall be as per the territorial area assigned as per column No. 4 of this schedule.

VINAY KUMAR KARAN
Additional Commissioner of Income-Tax, Range-5, Indore.

SCHEDULE

S. No.	Designation of Income tax Authority	Head Quarter	Territorial Area	Persons and classes of person and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DCIT/ACIT-5(1), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(a) District of Indore, (In respect of Salary cases as spefied in column no.5 at respective places) (b) Municipal Wards of Indore (i.) 1-Sirpur Ward (ii) 9-Khajrana Ward (iii) 22- Priyadarshini Ward (iv) 23-Devi Indra Ward (v) 28-Devi Ahilya Ward (vi) 29 - Mahatma Gandhi Marg (vii) 40-Vallabhbhai Patel Ward (viii) 59-Holkar Ward (ix) 61-Navlakha ward (including Industrial Estate of Navlakha, Palda) (x.) 64-Residency Ward (including Indusrial Estate of Musakhedi) (xi) 65-Azad Nager, ward (xii.) 66-Ambedkar Ward (c) Tehsil of MHOW in Indore District including Mhow City & Cantt.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned against items (b), (c), (d) and (e) of Col.4 and income/loss returned is above Rs. 10 Lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned against items (b), (c), (d) and (e) of Col. 4 and in whose cases the last income/loss returned is above Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act. 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned against items (b), (c), (d) and (e) of Column 4 in whose cases the last income/loss returned is above Rs. 15 Lakhs. (d) All persons having salary as their main sources of income drawn from the bank and Insurance companies and residing in the territorial areas within the District of Indore and Tehsil of Barwaha and Sanawad in Khargone (West Nimar) District (i e. trritorial area mentioned in items (a), (d) and (e) of column 4) whose last returned/assessed income is above Rs. 10 Lakhs. (e) All cases of persons mentioned against items (f) of Col. 4 (i. e. where principal source of income is from various profession viz. Advocate, Doctors Chartered Accountants etc. and falling within the territorial jurisdiction of the CIT-II, Indore except Khandwa Range) and whose last returned/ assessed income is above Rs. 10 Lakhs. (f) Managing Directors, Directors and Secretaries of all companies and partners of Firm whose jurisdiction is within the territorial of Addl CIT/JCIT, Range-5, Indore and whose last returned/assessed income is above Rs. 10 Lakhs.. (g) All persons being Trust, Waqfs, Society, Local Authority, AOP, BOI, AJP etc. falling within the territorial area assigned against item (d) and (e) under column-4. (h) All cases of Estate Duty falling within the terriotorial area assigned against items (b), (c) and (d) under Col.4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(d) Tehsils of Barwah in Khargone (West Nimar) Dist. (e) Tehsils of Sanawad in Khargone (West Nimar) Dist. (f) All cases of persons where principal sources of income is through various profeessions such as Advocates, charered Accountants, doctors etc. pertaining to jurisdiction of CIT-II, Indore except Khandwa Range.	(i) Any other case/cases asigned in terms of Section 120 (5) of the I.T. Act, 1961. (j) Any other case/cases assigned u/s 127 by the CCIT/ CIT.
2.	Income Tax Officer-5(1), Indore.	Indore, Madhya Pradesh.	(g) Municipal Wards of Indore Municipal Corporation. (i.) Ward 29-Mahatma Gandhi Marg. (ii) Ward-61 Navlakha Ward (including Industrial Estate of Navlakha, Palda) (iii) Ward 66-Ambedkar Ward (f) All cases of persons where principal sources of income is through various professions such as advocates, chartered accountants, doctors etc. pertaining to jurisdiction of CIT-II, Indore except Khandwa Range.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned against items (g) of Col.4 and income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned against items (g) of Col. 4 and in whose cases the last income/ loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act., 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned against items (g) of Column no. 4 in whose cases the last income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (d) All persons having salary as their main source of income drawn from Insurance companies and residing within the trritorial areas mentioned against items (a), (d) and (e) of Col. 4 (i.e.District of Indore and Tehsils of Barwaha and Sanawad in Khargone District) whose last returned/assessed income is upto Rs. 10 lakhs. (e) All cases of persons mentioned against items (f) of Col. 4 (i. e. where principal soure of income is from various profession viz. Advocate, Doctors, Chartered Accountants etc. and falling within the territorial jurisdiction of tehe CIT-II, Indore except Khandwa Range) and whose last returned/ assessed income is upto Rs. 10 Lakhs. (f) Managing Directors, Directors and Secretaries of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				all companies and partners of a Firm whose jurisdiction is within the territorial of Addl CIT/ JCIT, Range-5, Indore and whose last returned/ assessed income is upto Rs. 10 Lakhs. (g) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I.T. Act, 1961. (h) Any other cases assigned under Section 127 of the Income Tax Act 1961.
3.	Income Tax Officer-5(2), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(h) Municipal wards of Indore Municipal Corporation. (i.) Ward 1-Sirpur Ward. (ii) Ward-9 Khajrana Ward. (iii) Ward-22 Priya-darshini Ward. (iv) Ward 28-Devi Ahilya Ward. (v) Ward 64-Residency Ward (including Industrial Estate of Musakhedi). (d) Tehsils of Barwah in Khargone (West Nimar) Dist.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned against items (h) and (d.) of Col. 4 and income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned against items (h) and (d.) of Col. 4 and in whose cases the last income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act., 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned against items (h) and (d.) of Column no. 4 in whose cases the last income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (d) All persons having salary as their main source of income drawn from banks of Alphabets 'M' to 'Z' and residing within the territorial areas mentioned against items (a), (d) and (e) of Col. 4 (*i. e.*District of Indore and Tehsils of Badwaha and Sanawad in Khargone District) whose last returned/assessed income is upto Rs. 10 Lakhs. (e) Managing Directors, Directors and Secretaries of all companies and partners of a Firm whose jurisdiction is within the territorial of Addl. CIT/ JCIT, Range-5, Indore and whose last returned/ assessed income is upto Rs. 10 Lakhs. (f) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I.T.Act, 1961. (g) Any other case assigned u/s 127 of the Income Tax Act, 1961.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Income Tax Officer-5(3), Indore.	Indore Madhya Pradesh.	(i) Municipal ward of Indore Municipal Corporation. (i.) Ward 23-Devi Indira Ward (ii) Ward-40-Vallabh Bhai Patel Ward. (iii) 59-Holkar Ward. (iv) Ward 65-Azad Nagar Ward. (c) Tehsil of MHOW in Indore District inculding Mhow City & Cantt. (e) Tehsil of Sanawad in Khargone (West Nimar) Dist.	(a) All persons being Individuals, HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned against items (i), (c) and (e) of Col. 4 and income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (b) All persons being Individuals, HUFs & Firms, deriving income under the head House Property, Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned against items (i), (c) and (e.) of Col. 4 and in whose cases the last income/loss returned is upto Rs. 10 Lakhs. (c) All persons being companies registered under Companies Act., 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned against items (i), (c) and (e.) of Column no. 4 in whose cases the last income/loss returned is upto Rs. 15 Lakhs. (d) All persons having salary as their main source of income drawn from banks of Alphabets 'A' to 'L' and residing within the territorial areas mentioned against items (a), (d) and (e) of Col. 4 (*i. e.*District of Indore and Tehsils of Badwaha and Sanawad in Khargone District) whose last returned/assessed income is upto Rs. 10 lakhs. (e) Managing Directors, Directors and Secretaries of all companies and partners of a Firm whose jurisdiction is within the territorial of Addl CIT/JCIT, Range-5, Indore and whose last returned/assessed income is above Rs. 10 Lakhs. (f) Any other case/cases assigned in terms of Section 120(5) of the I.T.Act, 1961. (g) Any other case assigned u/s 127 of the Income Tax Act, 1961.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा	कुल रकबा/हेक्टर		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	धोबीखेड़ा	34	4.676	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (वाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग . .	4.676		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा	कुल रकबा/हेक्टर		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बेरखेड़ी अहीर	16	1.826	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (वाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग . .	1.826		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा	कुल रकबा/हेक्टर		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	खजूरी शमशाबाद	38	5.189	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (वाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग . .	5.189		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2011

प्र. क्र. 6-अ-82-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	सिमरघान	3.361	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1858-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	बरुअल	1.232	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1860-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	रमखिरिया	4.640	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1862-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	सपली	2.721	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी सिंचाई मध्यम परियोजना की मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रमपुराकलां	19.144	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 19.144		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	चम्पाखेड़ी	6.271	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	6.271		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	सोमवारा	5.235	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	5.235		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	कलनाखेड़ी	2.035	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	2.035		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	शाहपुर	2.909	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	2.909		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	महोली बसोदा	7.829	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई योजना के नहर कार्य हेतु.
		योग . .	7.829		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:—सगड़ मध्यम सिंचाई योजना नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	तोफाखेड़ी	8.095	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	8.095		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है

प्र. क्र. 29-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	बमूरिया	3.693	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 3.693		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	नानकपुर	6.595	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 6.595		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	मुंडरा शेरपुर	3.750	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	3.750		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	कस्बाखेड़ी	3.360	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	3.360		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रिनिया	1.520	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	1.520		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	सिरसी	13.463	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जि-ला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	13.463		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 35-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य

शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	अमरपुर चक पिपलधार	8.972	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 8.972		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 36-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	पीपरी	5.750	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 5.750		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 37-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रावन	12.500	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग. .	12.500		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 38-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	नगतरा	7.000	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग. .	7.000		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 39-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य

शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	भैरोबाग	7.412	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	7.412		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 40-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	पिपलधार	14.490	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	14.490		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 41-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	सेउ	23.400	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		योग	23.400		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 42-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	गोरियाखेड़ा	4.906	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	संजय सागर (बाह्य) मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
			योग 4.906		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र.-2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4(1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	बासौदा	डाबर	2.901	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत नहर हेतु.
			योग रकवा 2.901		

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. भू-अर्जन- (अ-82) 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नैनपुर	खोहरी प.ह.नं. 28	1.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	खोहरी लघु जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 जुलाई 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 10-11-5619.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	बड़गीखुर्द	0.846	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	झारकुंड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 26 जुलाई 2011

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5645.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रिधोरा	5.771	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई 2011

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5696.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	कपास्या	7.137	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5698.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सोंडिया	20.368	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5699.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रिधोरा	1.266	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5697.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	चिखलीकलां	7.775	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 882-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कोठी	5.002	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 883-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	3.450	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 4 अगस्त 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 888-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	रगला	11.574	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 889-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	डॉड़ी	0.247	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 890-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कोरबरा	3.974	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . .10 पत्र क्र. 891-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	11.863	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, क्रमांक 7, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. 1212-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सॉव	0.233	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के खम्हरिया माइनर आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1214-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बहुरी बॉध	0.723	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के खम्हरिया माइनर आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1216-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टिकिया	0.386	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के अमवा माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2011

प. क्र. 1233-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गुड्डिहा	1.57	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, क्र. 1, रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1235-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बुदामा	4.32	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, क्र. 1, रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1237-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	डीह	3.38	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, क्र. 1, रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1239-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खाम्हा	4.95	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, क्र. 1, रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1241-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	परसदहा	3.19	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, क्र. 1, रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्र. 1248-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	देवरा ज. न. 247	0.058	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1250-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	संसारपुर ज. न. 538	0.056	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की संसारपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 जुलाई 2011

प्र. क्र. 10अ-82-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम पटवारी ह. नं.	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	दमोह खास 16 सिंधी केम्प.	20946	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	जबलपुर दमोह सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के यहां देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्र. 7975-भू-अर्जन-2011-**संशोधन.**—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के अन्तर्गत ग्राम चीजवां तहसील, कुक्षी, जिला धार की धारा 4 (1) की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय एवं संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग, भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1499 पर दिनांक 6 मई 2011 को तथा दो हिन्दी समाचार-पत्र, नई दुनिया में दिनांक 4 मई 2011 एवं दैनिक अवन्तिका में दिनांक 5 मई 2011 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटीपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है :—

प्रकाशन हुआ जो त्रुटीपूर्ण है :— (1)	प्रकाशन होना था, जो पढ़ा जावे :— (2)
ग्राम का नाम चिचबा	ग्राम का नाम चिजवॉ

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

प्र. क्र. 48-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	इमलाही	3.604	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 49-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	खामिनखेड़ा	5.018	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खडेही वितरक नहर की नीवीखेड़ा माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खडेही वितरक नहर की नीवीखेड़ा माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 50-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	चकरसूला-1	2.230	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर एल. 1 माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की एल. 1 माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 51-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	जोधपुर	0.810	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 52-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	हाजीपुर	1.960	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर	बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 1 अगस्त 2011

प्र. क्र. 07 अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	नावली	29.772	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, गांधीसागर	नावली तालाब योजना (पूरक प्रकरण).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल दिनांक 2 अगस्त 2011

प्र. क्र. 5-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	1. गोदरमऊ	14/2	0.340	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल.	भोपाल बायपास चार लेन परियोजना (सड़क निर्माण) हेतु भू अर्जन.
			12/1	0.012		
			कुल 2 किता	0.352		
		2. कानासैया	1166/3 मेंसे	1.040		
			1182	0.060		
			कुल 2 किता	1.100		
		3. पिपलिया जाहिरपीर	136/1	0.400		
			कुल 1 किता	0.400		
		4. इमलिया	371/3/2/2	0.607		
			371/3/2/5	0.257		
			371/3/2/6	0.217		
			217/2/1	0.260		
			243/1/1	0.090		
			369/2/1क-1	0.520		
			कुल 6 किता	1.951		
		5. पुरामनभावन	97/2	0.180		
			99/1	0.020		
			101/1	0.010		
			152/4	0.250		
			कुल 4 किता	0.460		
		6. लाम्बाखेड़ा	22	0.280		
			23/2			
			कुल 2 किता	0.280		
		7. अरवलिया	338,340,343	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	7. अरवलिया	338,340,343/4	0.010	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल.	भोपाल बायपास चार लेन परियोजना (सड़क निर्माण) हेतु भू अर्जन.
			338,340,343/7	0.080		
			338,340,343/10	0.040		
			217/1	0.050		
			217/2	0.030		
			कुल 6 किता	0.310		
		8. बिशनखेड़ी	37	0.010		
			42	0.030		
			कुल 2 किता	0.040		
		9. कुराना	258/3/2	0.605		
			258/2	0.263		
			259,260/1,261/1/1	0.405		
			259,260/1,261/1/2	0.485		
			254/2	0.600		
			कुल 5 किता	2.358		
		10. भौरी	279/1	0.360		
			कुल 1 किता	0.360		
		11. बकानिया	1387	0.140		
			कुल किता	0.140		
		12. सूखीसेवनिया	517/2	0.230		
			कुल 1 किता	0.230		
		12 गांवों का महायोग		7.981		

(2) सावजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भोपाल बायपास चार लेन परियोजना (सड़क निर्माण हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील (हुजूर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	राजपुर	15.31	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला लघु सिंचाई योजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	सुमावली	28.96	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला लघु सिंचाई योजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	सनौरा	2.80	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला लघु सिंचाई योजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	भागौर	11.19	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत गोपालपुरा लघु सिंचाई योजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	खमैरा	19.89	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया.	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत गोपालपुरा लघु सिंचाई योजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 24 जून 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-170.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—आगर
(ग) ग्राम—बिजनाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टर

भूमि सर्वे नम्बर (1)	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में) (2)
74	0.07
75	0.10
77	0.10
380	0.16
470	0.35
91	0.11
94	0.11
97	0.06
99	0.09
100	0.05
101	0.03
110/1	0.07
110/2	0.08
406	0.08
111	0.02
239	0.05
113	0.14
187	0.12
115	0.02
163	0.03
164	0.06
169	0.02
166	0.06
192	0.12
383	0.12
402	0.06
403	0.08
238	0.09
102	0.03
405	0.03
193	0.10
89	0.06
92/1	0.07
112	0.02
165	0.06
93/1	0.05
योग . .	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिजनाखेड़ी तालाब की नहर वन एल वन के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 जुलाई 2011

प्र. क्र. 17 अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—सगौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
838 में से	0.04
840/2 में से	0.02
840/1 में से	0.14
840/3 में से	0.09
839 में से	0.02
845 में से	0.01
846 में से	0.17
847 में से	0.02
850 में से	0.16
849 में से	0.04
848 में से	0.07
762/1 में से	0.19
867 में से	0.11
योग . .	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सगौनी जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र.-1010-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2011-**संशोधित.**—कार्यालय पत्र क्रमांक 603-वाचक-प्रकरण क्रमांक 09 अ-82-10-11, धार, दिनांक 3 मई 2011 ग्राम मांडवी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 2.492 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक पृष्ठ क्रमांक 1636 पर दिनांक 13 मई 2011 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अवंतिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में तथा पत्रिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 13085/11 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

संशोधित उद्घोषणा ग्राम-मांडवी

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
74/1 ख	0.200	74/1ख/3	0.200

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. एफ. 882-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—नरवार एवं करैया देवरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग —9.090 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
350	0.105
351/1	0.909
355/1	0.575
351/2	1.800
355/2	0.209
358	0.230
360	0.261
361/1	0.836
361/2	0.805
993	1.210
994	1.540
1127	0.200
1128	0.410
निजी खाता भूमि योग . .	9.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नरवार बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्र. 01-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—पुलपुट्टा, प.ह.नं. 48/6,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.068 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/20	0.068
योग . .	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—तिरोडी

(ग) ग्राम—हरदोली, प.ह.नं. 19,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.202 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
313/7	0.202
योग . .	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रं. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—पुलपुट्टा, प.ह.नं. 48,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
218/2	0.048
318/2	0.052
योग . .	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रं. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 04-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—खण्डवा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.357 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
352/2	0.065
353	0.061
361/1	0.081
361/2, 362/2	0.049
377/2	0.069
361/4, 362/4	0.032
योग . .	0.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत खण्डवा वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 05-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—तिरोडी

(ग) ग्राम—सुकली, प.ह.नं. 05,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.447 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
59/17	0.245
59/1 घ ड	0.202
योग . .	0.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत सुकली उप वितरक नहर क्रमांक-1, के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रं. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 06-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—खैरलांजी
(ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 03,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.073 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
31/24	0.073
योग . .	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत झिरिया उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 07-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—तिरोडी
(ग) ग्राम—चाकाहेटी, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.121 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
459/2	0.121
योग . .	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत चाकाहेटी अजुर्नटोला के तहत आजनबिहरी वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 08-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—तिरोडी
(ग) ग्राम—बम्हनी सायटोला, प.ह.नं. 44/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.122 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5623	0.061
56/4	0.061
योग . .	0.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत बम्हनी वितरक नहर की सायटोला वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 09-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—तिरोडी

(ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 04,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.076 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
130/1च	0.076
योग . .	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—डोगरिया, प.ह.नं. 44/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.081 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
37	0.081
योग . .	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत मुरझड वितरक नहर की डोगरिया वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—लांजी

(ग) ग्राम—सर्रा, कडता, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.394 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—सर्रा	
137/2	0.170
137/3	0.125
138/6	0.243
138/2	0.032
138/16 ड	0.065
138/1 ख	0.113
138/22 क	0.069
138/14	0.057
138/22 ख	0.036
138/22 ग	0.061
138/18, 19	0.069
138/17	0.218
138/20	0.020
138/21	0.121
138/27	0.008
138/8	0.385
137/1	0.158
योग . .	1.950
ग्राम—कडता	
142/1	0.324
139/1	0.190
139/2	0.283
139/4	0.125
143	0.243
145	0.016
142/2	0.251
144	0.012
योग . .	1.444
कुल योग . .	3.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—तहसील लांजी में ग्राम कडता, सर्रा, कंसूली नेवरवाही मार्ग के कि.मी. 3/2 में सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 44/3,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
326/19	0.120
योग . .	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत झिरिया उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—जबरटोला, प.ह.नं. 41

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.357 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
223/1	0.065
223/2	0.065
222	0.012
230	0.215
योग . .	0.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी शाखा मुख्य नहर पर सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—लालपुर, प.ह.नं. 33,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.223 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
439/1	0.030
164	0.193
योग . .	0.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत लालपुर उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—कटंगी (तिरोडी)

(ग) ग्राम—चितेवानी, प.ह.नं. 19,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.081 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
48	0.081
योग . .	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत चितेवानी उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—कटंगी

(ग) ग्राम—लक्ष्मीपुर हमेशा, प.ह.नं. 03,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.101 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/46	0.101
योग . .	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत कोडबी उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—झिरिया, प.ह.नं. 03,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.586 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
387/1	0.105
375/1, 390/2	0.061
386/2	0.020
386/3	0.016
386/4	0.020
380/3, 377/3 378/3, 379/3	0.012
383	0.061
382/1	0.093
381, 382/2	0.032
380/1, 377/1 378/1, 379/1	0.049
386/5	0.049
375/7, 390/8	0.032
386/1	0.016
380/2, 377, 378, 379/2	0.020
योग . .	0.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी शाखा मुख्य नहर पर सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—कटंगी (तिरोडी)

(ग) ग्राम—बम्हनी, अर्जुनटोला, प.ह.नं. 4 व 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.019 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3, 5	0.202
74/3, 4	0.061
305/5	0.129
246/11	0.045
305/6	0.081
331/5	0.040
335/13	0.304
605/5	0.101
279/1	0.056
योग . .	1.019

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत चितेवानी उप वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—उमरवाडा, प.ह.नं. 37,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.603 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
139/2	0.008
140	0.012
138	0.016
141	0.032
159/1	0.036
159/2	0.076
160	0.036
368	0.040
161	0.081
182	0.068
184/9	0.012
184/2	1.030
363	0.012
364/1, 364/2	0.040
365	0.036
366	0.004
367	0.012
371	0.032
372	0.040
373	0.012
346/1	0.016
375	0.036
429/1	0.004
429/2	0.056
425	0.096
428	0.012
427	0.004
426	0.056
421/1	0.056
421/2	0.048
420/1	0.004
419	0.032
418	0.008
417/1, 3	0.101
407	0.092
404	0.040
403/1	0.040
403/2	0.088
402/1	0.012
384	0.028
383	0.052
380/1	0.040
377/1	0.090
377/3, 4	0.012
योग . .	1.603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—खैरलांजी
(ग) ग्राम—अमई, प.ह.नं. 03
(घ) क्षेत्रफल—1.557 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
239	0.045
240	0.077
238/1	0.032
238/2	0.032
237/2	0.073
236/1	0.061
171/1	0.053
171/2	0.105
171/3	0.010
172, 173/2	0.040
174/4	0.041
172, 173/1	0.024
174/5	0.061
473/1	0.032
473/2	0.045
474	0.255
481/1	0.028
481/2	0.032
481/7	0.028
481/4	0.045
481/6	0.049
482/1	0.012
482/3	0.049
489/1	0.049
489/2	0.028
489/3	0.028
488/1, 2	0.101
488/5, 6	0.061
487	0.061
योग . .	1.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—वारासिवनी
(ग) ग्राम—रेंगाझरी, प.ह.नं. 34
(घ) क्षेत्रफल—1.478 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79/1	0.154
79/2	0.113

(1)	(2)
80/1	0.146
80/2	0.097
242	0.024
240	0.170
271/1	0.150
271/2	0.036
270/2	0.049
269/4	0.028
269/5	0.040
269/6	0.045
268/1	0.045
268/2,3ख	0.032
268/2क, 3क/1	0.061
265/2	0.008
264	0.041
262/1	0.061
262/2	0.109
284	0.032
288	0.053
योग . .	1.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य शाखा में मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—कौलीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) क्षेत्रफल—1.899 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
39/2	0.024
40	0.036
41	0.024
42/1	0.004
74/7	0.056
155/4	0.026
75/1	0.012
75/2	0.004
77	0.012
79	0.012
76	0.028
150	0.064
147	0.056
84	0.012
86	0.016
87/1	0.020
138	0.028
137	0.020
136	0.016
134	0.012
128	0.024
288	0.016
133/1	0.016
130	0.024
129/2	0.020
127/5	0.004
129/1	0.012
127, 289/1	0.016
127, 289/2	0.004
116	0.016
115	0.012
113/1	0.008
113/2	0.061
113/3	0.011
114/2	0.015
113/4	0.019

(1)	(2)
114/1	0.016
156/2	0.065
154/2	0.016
151	0.027
156/1	0.059
155/1	0.056
155/2	0.032
155/3	0.036
149	0.028
146	0.020
145/3	0.064
300/2,3,4	0.070
275/2	0.036
296	0.048
298/1	0.032
275/1	0.025
278/2	0.024
278/1	0.104
278/4	0.032
279	0.018
280/1	0.029
280/2	0.029
285/1	0.019
285/2	0.017
286	0.056
287/2	0.032
290	0.052
299	0.048
300/1	0.012
297	0.036
योग . .	1.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 23-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—बघोली, प.ह.नं. 32

(घ) क्षेत्रफल—1.545 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
288/1	0.008
179/1	0.008
190/1	0.016
191/2	0.008
192	0.020
195/1	0.020
198/2	0.020
217/2	0.012
198/3	0.068
275	0.028
276/1	0.068
261, 262	0.032
250/1	0.020
281/3	0.027
250/2	0.004
318	0.080
248/1	0.016
248/2, 3	0.004
283	0.032
282/2	0.061
281/2	0.048
281/1	0.112
280/2	0.225
319	0.061
280/1	0.167
279	0.032
311	0.117

(1)	(2)
316	0.051
317/1	0.006
315	0.043
371	0.131
योग . .	1.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य शाखा में मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—खापा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.116 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
889/1	0.016
624/2	0.025
870/1	0.024
871/3	0.016
870/3	0.024
871/5	0.012
622/1	0.081
622/2	0.008
282/1	0.016
889/2	0.012
621/1, 624/1	0.052
875/1	0.034
870/2	0.024
874/2	0.052
891/1	0.029
890/2	0.039
878/1	0.089
619/2	0.016
624/3	0.024
872	0.036
871/4	0.012
879/4	0.040
891/2	0.027
890/3	0.024
874/1	0.081
620/1	0.008
873/1	0.012
871/2	0.034
871/1	0.008
862/2	0.012
890/1	0.022
622/3	0.075
904, 905	0.148
योग . .	1.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—मेहन्दीवाडा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.570 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
696/4	0.020
702	0.012
705, 706/1	0.008
710/2	0.029
687/4, 688/7	0.049
697/3	0.097
711	0.037
688/1	0.009
709	0.052
697/1	0.008
407, 403/2	0.024
688/3	0.063
708/1	0.061
697/2	0.012
700/1, 2	0.008
710/1	0.032
687/5, 688/8	0.049
योग . .	0.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—झालीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.109 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
98/1	0.084
141/3	0.065
438	0.048
430/1	0.083
428/3	0.048
707/2क	0.115
785/3	0.061
783	0.106
788	0.016
704/1	0.059
93/5	0.052
454/2	0.012
98/2	0.126
441/2	0.050
437	0.040
429/3	0.042
767/4, 770, 771	0.045
782	0.064
769	0.062
787	0.016
700/2	0.036
707/2ख	0.014
92/3	0.004
446/1	0.028
443	0.080
439	0.025
436	0.058
447	0.016
789/3	0.061
705	0.016
784	0.051
789/4, 5	0.038
702/1	0.18
94/1	0.012
448/2	0.006
446/2	0.032

(1)	(2)
435/1	0.066
456/1	0.028
429, 431/1	0.080
428/2	0.029
780/1	0.038
703	0.049
704/2	0.017
700/1	0.021
465/5	0.048
94/2	0.020
454/1	0.012
445	0.012
योग . .	2.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—बकेरा, प.ह.नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.274 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
126/2	0.040
259/1	0.068
247/9	0.016
281/1	0.012
278/2	0.012
264/12	0.024
269/1	0.056
275/2, 276	0.176
282/1	0.016
262	0.048
264/2	0.016
247/26	0.032
281/2	0.020
289/3	0.040
264/4	0.024
269/3	0.040
277/3, 278/1	0.102
127/1	0.020
257/1	0.032
247/12	0.020
287/1	0.028
289/1	0.056
267	0.020
269/4	0.016
289/2, 291/1	0.104
127/3	0.024
258/1	0.036
280	0.024
287/2	0.012
264/1	0.080
268/1, 2	0.044
277/2	0.008
290/1	0.008
योग . .	1.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 28-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—खरखडी, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.949 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/1	0.045
15/3	0.041
17/2	0.057
17/3	0.057
17/1	0.045
24/2	0.105
25/3	0.049
25/2	0.045
25/4	0.032
25/5	0.032
25/6	0.045
45	0.109
46	0.109
47/2	0.073
48/15	0.020
49	0.085
योग . .	0.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 29-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—डोगरिया, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.687 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
403	0.049
402/2	0.125
401/1	0.121
400/1	0.073
399	0.170
397	0.097
407/6	0.016
396/11	0.041
395	0.016
581/4	0.109
581/3	0.057
581/2	0.016
396/11	0.041
581/1	0.093
580	0.032
578	0.129
577	0.024
575/1	0.061
575/2	0.081
574	0.045
559/4	0.040
522/2	0.061
523	0.041
531/4	0.024
531/5, 535/2	0.020
532/1	0.061
योग . .	1.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत वारासिवनी मुख्य शाखा में मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—वारासिवनी

(ग) ग्राम—लालपुर, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.559 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
317	0.012
318	0.016
320/1	0.020
320/2	0.028
321	0.040
323	0.048
379/1	0.020
379/2	0.032
380/1	0.008
383/1	0.024
386	0.024
387/1	0.016
694	0.052
669	0.020
670	0.024
668/1	0.010
668/2	0.010
653/2	0.020
651	0.020
913	0.032
652/1, 650/3, 914/1	0.032
649	0.024
640	0.012
715	0.020
710	0.056
714	0.052
711	0.004
713	0.012
712	0.022
709/2	0.016
708	0.052
703	0.012
709/3	0.016
709/5	0.068
699	0.032
697	0.116
696	0.080
882	0.028
881	0.101
883	0.060
884	0.060
889/1	0.024
890	0.040
891/2	0.024
891/1	0.008
914/2	0.024
915	0.032
1016	0.016
1017/3	0.040
योग . .	1.559

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बांसी वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 31-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बालाघाट

(ग) ग्राम—मगरदर्रा, प.ह.नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.574 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
322/1	0.061
322/2	0.061
332/1	0.281
332/2	0.234
योग . .	0.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—लालबर्रा समनापुर मार्ग के कि.मी. 7/6-8 में बैनगंगा नदी पर सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 32-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—भजियादण्ड, प.ह.नं. 44/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.798 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
71	0.798
योग . .	0.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बांसी वारासिवनी मुख्य नहर शाखा में मार्ग निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—तिरोडी

(ग) ग्राम—चाकाहेटी खरपडिया, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.481 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
351/1	0.360
612, 614/2	0.121
योग . .	0.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत चाकाहेटी खरपडिया उप वितरक नहर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. 1200-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगांवा
(ग) वन ग्राम—निमवाड़ी, वनपरिक्षेत्र खरगोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.222 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमिक वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है:—

खसरा नम्बर	कक्ष क्र.	अतिक्रमित वनभूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
171/1	657	0.118
169/1/1	657	0.312
169/1/2	657	0.848
148/1	657	0.468
145/1	657	0.316
145/2	657	0.310
146	657	0.054
143/1/1	657	0.058
143/1/2	657	0.069
143/1/3 144/1/1	657	0.098
144/1/2	657	0.156
144/1/3	657	0.152
144/1/4	657	0.142
54/1	657	0.367
140	657	0.123
133	657	0.492
134/1	657	0.139
	योग . .	4.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर एवं उसकी दसनावल वितरण शाखा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय, खरगोन, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

प्र. क्र. 56-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—प्रतापपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —4.000 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.580
4	0.005
14	0.226
13/2	0.080
13/3	0.200
15	0.006
12	0.080

(1)	(2)
11	0.005
32	0.010
37	0.060
38	0.240
33/1	0.065
33/2	0.145
60	0.120
61	0.024
62	0.052
63	0.052
65	0.024
64	0.112
97/2	0.010
98	0.115
96	0.015
95	0.180
94	0.160
105	0.009
89	0.060
106	0.310
88	0.006
85	0.052
86	0.075
76	0.010
77	0.120
78	0.006
79	0.011
150	0.020
152	0.005
2/1	0.175
2/2	0.175
5	0.070
6/1	0.160
6/2	0.170
कुल अर्जित रकबा . .	4.000

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 2 के अन्तर्गत आने वाली प्रतापपुरा माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 60-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—रानीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —10.647 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1	0.062
3/1	0.105
9	0.150
10	0.195
14	0.096
16	0.100
17	0.102
28	0.084
29	0.092
31	0.096
32	0.095
34	0.082
35	0.086
68/1	0.081
68/2	0.113
69	0.092
74	0.105
75	0.075
86/6/1	0.092
86/7क	0.033
86/7ख	0.112
86/7ग	0.032
209/1क	0.062
209/1ख	0.080
209/1ग	0.090
217/1	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
217/1/1	0.060	386/1ग	0.004
217/2	0.120	386/2ख	0.216
217/3क	0.067	390	0.060
217/3ख	0.064	391	0.013
217/4	0.016	394	0.112
217/5	0.040	395	0.060
218	0.120	396	0.024
219/1	0.080	397	0.060
219/2	0.010	398	0.100
293	0.010	404	0.004
294	0.070	406/1	0.200
295	0.060	406/2	0.060
318	0.025	412	0.008
322	0.056	416	0.013
323	0.140	418	0.080
324	0.005	419	0.100
327/1	0.032	420	0.180
327/3	0.010	423	0.022
327/3/1	0.075	424	0.029
327/3/2	0.005	425	0.300
327/5	0.050	426	0.120
328	0.100	428	0.052
330/1	0.050	430	0.010
330/2	0.020	431	0.110
330/2/1	0.040	432	0.020
330/2/2	0.030	434	0.037
330/4	0.016	451	0.064
330/6	0.050	452	0.192
330/7/1	0.060	453	0.051
330/7/2	0.032	463	0.156
352	0.160	478	0.040
353	0.005	484	0.096
354	0.080	487	0.122
355	0.025	495	0.040
356	0.080	496	0.104
357	0.005	499	0.008
358/1	0.037	504	0.009
361	0.006	505	0.140
378	0.060	514	0.156
386/1क	0.088	515	0.120
386/2ख	0.160	520	0.066

(1)	(2)
521	0.036
522	0.110
523	0.024
527	0.010
529	0.032
530	0.064
531	0.132
532	0.210
535	0.136
537	0.144
538/1	0.005
538/2	0.010
547	0.128
549	0.340
550	0.120
551	0.024
556	0.160
557	0.140
598/1	0.032
598/2	0.005
599	0.080
600	0.058
601/2	0.032
603	0.020
607	0.032
608	0.120
609/2	0.064
613	0.012
614	0.141
638/417	0.120
639/462	0.012
641/536	0.040
656/562	0.135
कुल रकबा . .	10.647

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 2, नीवीखेड़ा माइनर, खडेही माइनर एवं रानीखेड़ा 1, 2 एवं के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 95-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—पंचमनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.391 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)
79/1/1	0.192
98/2	0.101
99/1	0.031
104	0.100
105/1	0.080
105/2	0.210
109	0.006
168/1	0.014
169	0.178
171	0.194
172/2/1	0.070
174	0.011
179	0.072
180	0.077
181	0.168
182/2	0.148
189	0.120
190	0.002
193	0.020
194	0.257
199	0.342
201	0.061
202	0.060
203/2	0.008
207	0.187
209/1/1	0.095

(1)	(2)
209/1/2	0.095
210/3	0.052
210/4	0.120
210/5	0.104
264/2	0.216
कुल अर्जित रकबा . .	3.391

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत आने वाली पंचमनगर माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

प्र. क्र. 96-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—बछौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —12.504 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)
सूरजपुर माइनर	
1895/2	0.106
1896	0.101
1905	0.046
3554/1	0.196

(1)	(2)
बछौन न. 1	
3663/1	0.091
3711/1	0.053
3711/2	0.058
3817	0.144
3819/2	0.004
3823	0.137
3824	0.178
3826/2	0.120
3827	0.077
3828	0.116
3851	0.036
3873/1	0.046
3873/2	0.146
3874	0.015
3875/1	0.149
3876/1	0.087
3953	0.192
3954	0.178
3966/अ	0.368
3968/1	0.004
4006/1/1	0.226
4006/1/2	0.147
4006/2/1	0.207
4006/2/2	0.192
4008	0.004
4009	0.102
4010	0.090
4011/1	0.026
4011/2	0.016
4143/1	0.020
4144/1	0.065
4148	0.101
4149/अ	0.165
बछौन नं. 3	
4204/1/3/3	0.476
4207/1	0.376
4207/2	0.116
4208/1	0.196
4220/1	0.013
4222/1	0.014
4222/2	0.070
4222/3	0.071

(1)	(2)
4222/4	0.071
4223/1	0.086
4223/2	0.092
4499	0.289
4503	0.156
4506	0.188
पंचमनगर माइनर	
3607/1/1	0.148
3608/2/1/1	0.016
3608/2/1/4	0.046
3608/3/1/1	0.006
3608/3/1/2	0.046
3608/4/1/2	0.016
3608/1/1	0.056
3748	0.270
3750	0.081
3751	0.168
3752/1	0.046
3754	0.081
3755/1	0.096
3755/2	0.096
3758/1	0.004
3768/2	0.126
3769/1	0.146
3769/2	0.021
3769/3	0.026
3769/4	0.021
3769/5	0.020
3770	0.146
3771/1	0.028
3771/2	0.025
3771/3	0.007
3771/4	0.007
3771/5	0.007
3778/2	0.116
3783	0.116
3784	0.160
3785/4/2	0.168
4025/1/11	0.236
4025/1/12/1	0.112
4025/1/12/2	0.112
4025/1/2/1/1	0.058
4025/1/2/1/1/2	0.057
4025/1/2/1/1/3	0.057
4025/1/2/1/1/4	0.057
4025/1/9	0.375
4026/1	0.148
4026/2/1	0.264
4026/3/2	0.353
4033/ब	0.170
4036/1/2	0.092
4036/2	0.112
4090/1	0.394
4090/2/1	0.294
4090/3	0.406
4090/4	0.076
4092/1/9	0.196
4097	0.056
4099	0.046
4103	0.096
4104	0.046
4105	0.146
4108	0.006
योग . .	12.504

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की बछौन माइनर, की सूरजपुर एवं पंचमनगर माइनर एवं व्यासबदौरा वितरक नहर की उमरी माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

प्र. क्र. 107-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—हर्राई

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.377 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)
27/2	0.044
28	0.032
29	0.038
167/3	0.030
172	0.124
174	0.027
175	0.066
176	0.016
योग . .	0.377

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की अमहा माइनर की अमहा सबमाइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—अमहापुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.587 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)
1	0.113
2	0.004
3	0.220
4	0.228
30	0.078
55	0.103
56/1	0.261
58	0.005
59/1	0.099
59/2	0.096
60/1	0.034
60/2	0.170
योग . .	1.411

अमहा सबमाइनर

5	0.082
11/1/1	0.035
11/1/2	0.034
11/3	0.034
18/1	0.061
18/2	0.061
19	0.040
28	0.052
136/2/1	0.012
149/2	0.012
150/1	0.032
150/2	0.054
157	0.040
159/1	0.084
159/2	0.040
160	0.134
162	0.006
163	0.050
164	0.068
168	0.002
169	0.164
171/1	0.044
173	0.035
योग . .	1.176
कुल योग . .	2.587

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर के अन्तर्गत अमहा माइनर एवं अमहा सबमाइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. 1219-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पोड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.662 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
85	0.071
86	0.065
91	0.084
92	0.128
93	0.152
107	0.109
108	0.168
109	0.084
110	0.110
111	0.030
113	0.014
218	0.122
219	0.105
220	0.052
221	0.124
232	0.290
233	0.096
234	0.075
238	0.060
240	0.330
260	0.036
263	0.169
264	0.200
265	0.026
266	0.025
267	0.180
268	0.088
270	0.072
271	0.016
272	0.018
273	0.063
274	0.034
275	0.040
292	0.330
293	0.053
योग . .	3.619
मध्यप्रदेश शासन	
117	0.043
योग . .	0.043
महायोग . .	3.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली टेल डिस्ट्रीब्यूटर नहर में निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1221-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बहिवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.374 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
01	0.092
03	0.156
06	0.372
07	0.192
08	0.120
09	0.036
10	0.132
11	0.156
15	0.239
16	0.090
243	0.156
244	0.012
246	0.048
247	0.180
300	0.018
301	0.576
302	0.024
303	0.158
304	0.077
305	0.033
312	0.138
313	0.134
314	0.132
317	0.317
318	0.052
355	0.209
356	0.198
357	0.097
358	0.066
(1)	(2)
360	0.131
शासकीय 14	0.024
शासकीय 315	0.034
शासकीय 02	0.036
योग . .	4.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— टेल डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1223-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—माला कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.056
50	0.272
52	0.032
54	0.016
56	0.032
58	0.024
60	0.032
72	0.400
79	0.034
83	0.348
84	0.005

(1)	(2)
85	0.014
86	0.062
87	0.040
88	0.008
125	0.022
126	0.030
127	0.029
128	0.022
129	0.221
166	0.056
178	0.032
179	0.032
257	0.184
277	0.224
278	0.104
280	0.088
281	0.072
282	0.072
286	0.154
287	0.028
288	0.011
289	0.010
310	0.029
311	0.048
314	0.120
316	0.112
321	0.005
322	0.022
323	0.141
324	0.123
325	0.130
326	0.132
357	0.109
358	0.014
360	0.042
366	0.068
367	0.036
368	0.026
373	0.038
377	0.018
378	0.077
387	0.125
389	0.096
390	0.077
467	0.083
471	0.072
472	0.007
473	0.076
476	0.100
477	0.080
506	0.012
507	0.005
508	0.014
509	0.207
510	0.067
511	0.050
512	0.032
514	0.064
515	0.014
517	0.168
519	0.112
520	0.088
521	0.160
522	0.160
शासकीय भूमि	
468	0.029
55	0.020
57	0.016
59	0.020
योग . .	5.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—माला माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1225-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर, ज.न. 5679, प.ह.नं. 48

(ग) ग्राम—क्योटी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.320 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1540	0.112
1541	0.170
1542	0.170
1543	0.154
1587	0.184
1588	0.098
1592	0.078
1593	0.156
1594	0.200
1595	0.013
1606	0.016
1607	0.033
1608	0.192
1744	0.048
1745	0.188
1746	0.064
1747	0.002
1755	0.056
1756	0.040
1760	0.152
1761	0.034
1763	0.002
1765	0.340
1768	0.072
1769	0.072
2074	0.092
2078	0.106
2082	0.024
2083	0.144
2093	0.260
2098	0.048
योग . .	3.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ट्रेल माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1227-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर, ज.न. 306, प.ह.नं. 51,

(ग) ग्राम—पिपरहा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.886 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79	0.125
80	0.065
86	0.006
87	0.019
383	0.096
384	0.080
386	0.104
387	0.060
403	0.016
404	0.172
405	0.130
407	0.007
483	0.006
योग . .	0.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिपरहा माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1229-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—अतरैला पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.006 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.012
16	0.086
19	0.265
21	0.128
23	0.408
28	0.128
29	0.064
33	0.048
34	0.150
35	0.106
36	0.032
37	0.072
38	0.115
46	0.035
47	0.040
48	0.060
49	0.058
50	0.048
51	0.048
52	0.066
120	0.032
121	0.035
122	0.106
124	0.104
126	0.112
243	0.328
245	0.008
246	0.312
योग . .	3.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिपराहा माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1231-प्रशासक-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर, ज.न. 306, ह.नं. 50,
(ग) ग्राम—पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.328 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
39	0.360
40	0.209
41	0.303
42	0.038

(1)		(2)
91		0.044
92		0.083
93		0.005
96		0.264
101		0.120
102		0.132
103		0.270
105		0.118
106		0.141
191		0.132
191		0.312
194		0.168
195		0.168
198		0.017
199		0.140
201		0.068
202		0.045
203		0.084
206		0.132
232		0.250
233		0.624
239		0.036
39		0.012
	योग . .	4.275
शासकीय 200		0.053
	कुल योग . .	4.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिपरहा माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 2 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5878.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम—झारकुण्ड, पटवारी हल्का नं. 31,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.117 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
394/1	0.108
394/2	0.112
398/1	0.036
394/3	0.078
398/3	0.072
395/2	0.128
395/1	0.142
399/1	0.081
401	0.065
402	0.056
400	0.352
389	0.071
398/2	0.056
200	0.164
371/1	0.216
371/2	0.045
260/1	0.076
260/2	0.076

(1)	(2)
260/3	0.076
259	0.152
253	0.510
254/5	0.081
254/6	0.050
254/3	0.108
254/2	0.108
193/1	0.016
193/2	0.016
435/1	0.080
344	0.081
376	0.264
374	0.288
337	0.252
345	0.028
328	0.097
444/2	0.040
444/5	0.244
445/1	0.172
444/1	0.161
444/3	0.012
447	0.121
285/3	0.121
285/2	0.112
286/1	0.272
276/1	0.072
275/4	0.090
277	0.112
435/4	0.100
437/3	0.070
437/1	0.227
278	0.627
279	0.144
272/2	0.061
272/1	0.048
271	0.252
270	0.108
269	0.081
272/3	0.061
265/1	0.061
265/2	0.218
265/3	0.061
266/3	0.108
274	0.108
276/2	0.112
योग . .	8.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झारकुण्ड जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5877.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम—चिखली, पटवारी हल्का नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.036 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
76/5	0.100
76/4	0.157
75/5	0.187
76/2	0.090

(1)	(2)
77	0.252
93	0.150
175	0.120
173	0.090
79	0.600
76/6	0.090
76/7	0.033
76/8	0.034
76/9	0.120
76/11	0.037
96/4	0.240
96/5	0.464
96/7	0.237
96/8	0.236
96/9	0.112
96/12	0.315
297/3	0.078
296	0.165
289	0.083
311	0.112
298/1	0.071
298/10	0.070
298/4	0.035
298/8	0.035
298/2	0.090
308/1	0.102
271/4	0.067
246	0.036
248/1	0.012
247	0.036
248/2	0.012
179	0.071
219	0.306
218/1	0.168
218/2	0.120
218/3	0.132
216/3	0.123
216/10	0.120
216/2	0.225
216/1	0.127
216/6	0.045
208/1	0.090
209	0.180
298/6	0.036
298/7	0.035
309	0.138
291	0.150
210/1	0.042
210/2	0.084
210/4	0.084
195/2	0.063
194	0.480
177/2	0.142
174	0.108
172/2	0.034
172/1	0.018
170	0.150
186/2	0.253
186/3	0.198
33/2	0.155
30/4	0.130
30/5	0.253
208/2	0.108
योग . .	9.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झारकुण्ड जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 06-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की लेदी तालाब योजना (पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मन्दसौर

(ख) तहसील—भानपुरा

(ग) ग्राम—लेदीकला, लेदीखुर्द, ओसरना, मौखमपुरा,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.303 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
	लेदीकला	
3	0.366	
9	0.314	
24	0.627	संतरा पौधा 350
26/1	0.105	
27	0.180	
28/1	0.284	
28/2	0.240	संतरा पौधा 120
28/3	0.355	संतरा पौधा 200
28/4	1.500	संतरा पौधा 420
61/2	0.175	
77/1	0.200	
88	0.868	संतरा पौधा 125, कुआ 1 कच्चा
89	0.879	
240/1	0.020	
240/2	0.020	
72	0.200	
61/1	0.170	
योग . .	6.503	
	लेदीखुर्द	
18/6	0.200	कुआ पक्का 1
21/1/5	0.640	सतंरा पौधा 100
योग . .	0.840	
	मौखमपुरा	
371	0.060	
372	0.040	
373	0.140	कुआ पक्का 1
374	0.040	
356	0.400	
353	0.620	
350	0.200	कुआ पक्का 1
योग . .	1.500	
	ओसरना	
154	0.300	
155	0.240	
160	0.080	
167	0.150	
164	0.150	
165	0.110	
176	0.050	
166	0.100	
174	0.060	
175	0.040	
180	0.150	
189	0.030	
योग . .	1.460	
महायोग . .	10.303	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लेदीकला तालाब (पूरक प्रकरण) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

प्र. क्र. 65-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—सडवाकोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.837 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
120	0.032
121	0.092
123	0.193
124/2	0.040
125	0.088
126	0.090
127	0.046
131/1/2	0.052
131/2	0.060
131/3	0.102
131/4	0.042
योग . .	0.837

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सड़वाकोल माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 88-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—वंसिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —11.238 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
अम्हा माइनर	
302	0.597
304	0.051
305	0.070
306	0.085
308/1	0.210
308/2	0.084
350	0.084
351	0.282
352	0.054
355	0.282
356	0.128
407/2	0.590
421	0.072
422/2	0.061
424/1	0.110
424/2	0.221
425	0.032
553	0.147
554	0.073
558	0.228
559	0.040
560/1	0.215
560/2	0.215
560/3	0.147
568	0.197
699	0.215
700/2	0.014
700/1	0.066

(1)	(2)
712/1	0.091
712/2	0.091
712/3	0.091
714/1	0.018
714/2	0.026
715	0.108
726	0.060
727	0.108
728	0.138
731	0.036
733	0.270
735	0.173
732	0.141
769	0.220
770/1	0.175
770/2	0.007
774	0.168
775	0.134
777	0.423
780	0.089
784	0.233
787	0.060
788	0.168
789	0.003
790	0.114
1093/553	0.232
योग . .	7.947

वंसिया सब-माइनर नं. 1

93/1/1	0.030
160/1	0.040
160/2	0.042
168	0.066
169	0.066
173/1	0.097
173/2	0.035
571	0.076
574	0.052
580	0.056
583	0.031
584	0.002
586/1	0.035
590/1	0.028
590/2	0.028
772	0.005
774	0.060
योग . .	0.749

वंसिया सब-माइनर नं. 2

354	0.004
355	0.065
360/1	0.028
360/2	0.028
361	0.088
362	0.024
366	0.009
367	0.009
379	0.068
380	0.029
385	0.058
386	0.058
387	0.015
388/2	0.052
454/1	0.052
454/2	0.053
461	0.093
465	0.084
469/2	0.012
471	0.061
497	0.092
498	0.136
956/1	0.180
956/2	0.030
957	0.044
958	0.053
960	0.020
962/1	0.070
963	0.026
964/1	0.026
1002	0.028
1003	0.049
1008/1	0.060
1008/2	0.030
1010	0.028
1011	0.060
1012	0.080
योग . .	1.902

(1)	(2)
ब्यासबदौरा वितरक नहर	
11/1	0.042
11/2	0.038
14	0.090
15	0.084
16	0.082
17	0.062
18/1	0.102
20/4	0.106
20/5	0.030
21/2	0.004
योग . .	0.640
महायोग . .	11.238

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से अम्हा माइनर, वंसिया सब-माइनर नं. 1, वंसिया सब-माइनर नं. 2 एवं ब्यासबदौरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 89-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—पडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —6.117 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
अम्हा माइनर	
277	0.080
279	0.041
280	0.059
281	0.052
282	0.010
283	0.214
285/1	0.028
285/2	0.014
287	0.024
288	0.129
289	0.044
292	0.146
293/1	0.059
293/2	0.089
295	0.044
297	0.062
335/1	0.112
335/2	0.224
336/1	0.343
336/2	0.005
337	0.024
341	0.024
342	0.082
343	0.130
344	0.081
355	0.250
358	0.087
359/1	0.042
359/2	0.041
360/1	0.040
360/2	0.032
361	0.006
योग . .	2.618
पडरी सब-माइनर	
90	0.069
95/2	0.101
96	0.086
100/1	0.042
100/2	0.042
101/1	0.041
101/2	0.040
216/1	0.042
216/2	0.042
217/3	0.003
217/4	0.004
319/2	0.016

(1)	(2)
325/1	0.080
325/1/2	0.080
326	0.043
327	0.019
235/2	0.117
236	0.009
239	0.018
241	0.006
318	0.009
345	0.081
348/2	0.062
350/1	0.057
योग . .	1.109

व्यासबदौरा वितरक नहर

3	0.282
19	0.110
23	0.082
24	0.104
25	0.112
26	0.106
38	0.024
49/1	0.250
49/2	0.003
49/3	0.288
49/4	0.052
55	0.012
56	0.004
58	0.115
59	0.003
66	0.098
71	0.085
72	0.140
73	0.056
74	0.057
75	0.060
77	0.347
योग . .	2.390
महायोग . .	6.117

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से अम्हा माइनर, पडरी सब-माइनर एवं व्यासबदौरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 106-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—कनवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.777 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
अम्हा माइनर	
83	0.100
85	0.013
88/1	0.234
88/2	0.117
89	0.010
92	0.115
109	0.032
110	0.119
111	0.140
113	0.002
114	0.054
116/1	0.062
116/2	0.061
124	0.008
125	0.070
126	0.100
127	0.063
128	0.070
199/2	0.090
221	0.089
226/2	0.216

(1)	(2)
233/3/2	0.066
234/2/1	0.061
234/2/2	0.045
241	0.044
242/3	0.073
243	0.006
244	0.035
247	0.100
248	0.100
249	0.050
250	0.002
251	0.060
253	0.182
योग . .	2.589

कनवई सब-माइनर

176	0.242
262	0.034
263	0.018
380/1	0.086
380/2	0.022
381	0.139
387/1	0.028
387/2	0.084
389	0.029
390	0.062
392	0.079
393	0.072
478	0.012
496	0.072
497	0.062
498	0.107
499/1	0.011
499/2	0.011
502	0.196
503	0.012
507/1	0.001
508	0.048
509	0.051
510	0.024
511	0.009
516	0.001
517	0.002
518	0.038
528	0.087
531/1	0.009
532	0.051
533/1	0.027
533/2	0.027
534	0.065
551	0.044
योग . .	1.862

हर्रई माइनर

227/2	0.073
228	0.006
231	0.056
232/2	0.144
435/1	0.188
436	0.010
437	0.154
444	0.028
448	0.048
450	0.080
452	0.043
453	0.112
454	0.020
464/1	0.072
464/2	0.072
469/1/1	0.021
469/1/2	0.199
योग . .	1.326
महायोग . .	5.777

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की अम्हा माइनर की कनवई सब-माइनर एवं हर्रई माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 108-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—घूरापुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.317 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
अमहा माइनर	
126	0.066
128	0.008
130	0.077
131	0.030
132	0.032
136	0.084
137	0.078
167/1	0.007
168	0.036
169	0.040
170	0.016
220	0.051
222	0.092
223/1	0.037
223/2	0.037
229	0.062
230	0.012
231	0.056
271	0.092
278/1	0.002
570/1	0.005
138	0.041
280	0.020
281	0.028
282	0.050
382	0.045
383	0.010
386/2	0.011
392	0.077
393	0.012
394	0.056
395	0.016
400/1	0.020
400/2	0.020
400/3	0.010
457	0.040
458	0.035
536	0.028
537	0.064
544	0.048
545	0.142
553/1	0.016
553/2	0.010
554	0.040
567	0.008
571/1	0.019
571/2	0.019
योग . .	1.805
घूरापुरवा सब-माइनर	
139	0.056
140	0.121
152	0.315
153	0.156
154	0.132
301	0.144
302	0.081
303	0.013
304/2	0.075
304/3	0.077
310	0.084
311	0.115
312	0.005
313	0.102
314	0.036
योग . .	1.512
कुल अर्जित रकबा योग . .	3.317

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की चंदला वितरक नहर की अमहा माइनर एवं घूरापुरवा सब-माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्र. 1016-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Refresher Course for Civil Judges, Class-II" (2008 Batch) (First Batch), जो दिनांक 23 अगस्त 2011 से 27 अगस्त 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 23 अगस्त 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 23 अगस्त 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारंभ होने के, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :—

(i) Judgement in Civil Case (Contested) and

(ii) Judgement in Criminal case (contested)

(iii) Issues framed by themselves

(iv) Charge framed by themselves

(v) Accused Statement Prepared by themselves

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. 1051-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री आनंद कुमार तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''इन्दौर'' के स्थान पर ''दुर्ग (छत्तीसगढ़)'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1053-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री शमरोज खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, राजगढ़ की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''मण्डलेश्वर'' के स्थान पर ''बड़वानी'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1055-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री अफसर जावेद खान, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''झाबुआ'' के स्थान पर ''अलीराजपुर'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1057-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री महेन्द्र मांगोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बुरहानपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''इन्दौर'' के स्थान पर ''धार'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1059-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्रीमती दीपाली शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''गुना'' के स्थान पर ''अशोकनगर'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1061-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम झाबुआ की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''मण्डला'' के स्थान पर ''डिण्डौरी'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1063-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्रीमती माधुरी राजलालजी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उमरिया की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''जबलपुर'' के स्थान पर ''हमीरपुर (उत्तरप्रदेश)'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1065-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्रीमती अर्चना सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''जबलपुर'' के स्थान पर ''इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1067-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री सूरज सिंह राठौड़, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भीकनगांव, मण्डलेश्वर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''खण्डवा'' के स्थान पर ''बुरहानपुर'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1069-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान विजयपुर, जिला श्योपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''गुना'' के स्थान पर ''अशोकनगर'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1071-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— श्री अरविंद सिंह टेकाम, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पवई, जिला पन्ना की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''शहडोल'' के स्थान पर ''उमरिया'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1073-गोपनीय-2011-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).— कुमारी साधना माहेश्वरी, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला ''झाबुआ'' के स्थान पर ''अलीराजपुर'' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 1003-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री गोपाल श्रीवास्तव षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्रीमती अनुराधा शुक्ला सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	भगवत प्रसाद पाण्डेय नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीवा.	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्र. 1018-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र. 1077-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजीव कुमार पाण्डे पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) छिन्दवाड़ा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
2	श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) दमोह.	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 999-गोपनीय-2011-दो-3-77-2011.—श्रीमती चैनवती ताराम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डला का विवाह श्री महेन्द्र सिंह ताराम के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम ''कुमारी चैनवती धुर्वे'' के स्थान पर ''श्रीमती चैनवती ताराम'' पति श्री महेन्द्र सिंह ताराम, परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र.बी-1905-तीन-10-42-75-(भिण्ड-लहार).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री लक्ष्मण पवैया, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड अपने घोषित कार्यस्थल भिण्ड के अतिरिक्त लहार में भी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में बैठक करेंगे.

No. B-1905-III-10-42-75-(Bhind-Lahar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Laxman Pawaiya, III Additional Distt. & Session Judge, Bhind in Addition to his place of sitting declared at Bhind shall also sit at Lahar during 1st and IIIrd week of each month.

क्र.बी-1907-तीन-10-42-75-(दतिया-सेवढ़ा).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया अपने घोषित कार्यस्थल दतिया के अतिरिक्त सेवढ़ा में भी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में बैठक करेंगे.

No. B-1907-III-10-42-75-(Datia-Seodha).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Jitendra Kumar Sharma, Ist Additional Distt. & Session Judge, Datia in Addition to his place of sitting declared at Datia shall also sit at Seodha during 1st and IIIrd week of each month.

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र.ई-3267-तीन-10-42-75-(शाजापुर-सुसनेर).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर अपने घोषित कार्यस्थल आगर के अतिरिक्त सुसनेर में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. E-3267-III-10-42-75-(Shajapur-Susner).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Suresh Kumar Aarse, Additional Distt. & Session Judge, Agar in Addition to his place of sitting declared at Agar shall also sit at Susner for 7 days in each month.

क्र.ई-3269-तीन-10-42-75-(रीवा-मऊगंज).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा अपने घोषित कार्यस्थल रीवा के अतिरिक्त मऊगंज में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. E-3269-III-10-42-75-(Rewa-Mauganj).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Dhirendra Kumar Shrivastav, VIIth, Additional Distt. & Session Judge, Rewa in Addition to his place of sitting declared at Rewa shall also sit at Mauganj for 7 days in each month.

क्र.ई-3271-तीन-10-42-75-(देवास-कन्नौद).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री भरत सिंह ओहरिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली अपने घोषित कार्यस्थल बागली के अतिरिक्त कन्नौद में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. E-3271-III-10-42-75-(Dewas-Kannod).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Bharat Singh Ouhariya, Additional Distt. & Session Judge, Bagli in Addition to his place of sitting declared at Bagli shall also sit at Kannod for 7 days in each month.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 997-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री प्रदीप कुमार व्यास प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	देवास	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	श्री अवधेश कुमार (गुप्ता) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान) जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2011

क्र. ई. 3145-पेंशन-चार-9-4-39 भाग-तीन-सी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2012 में पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	वर्ष 2012 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर-एक-चार, दि. 16-4-76 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		प्रथम श्रेणी अधिकारी		
1	श्री आर. पी. पाण्डेय	रजिस्ट्रार उ. न्या. म. प्र. जबलपुर	10-12-1952	31-12-12 अप.
		द्वितीय श्रेणी अधिकारी		
1	श्रीमती भारती सावे	निजी सचिव उ. न्या. म. प्र. खण्डपीठ, इन्दौर	1-6-1952	31-5-12 अप.
2	श्री इनाममुल्ला खान	अनुभाग अधिकारी उ. न्या. म. प्र., जबलपुर	1-7-1952	30-6-12 अप.
3	श्रीमती सुहास जोशी	अनुभाग अधिकारी उ. न्या. म. प्र., जबलपुर	1-7-1952	30-6-12 अप.
4.	श्री जी. पी. कुशवाहा	अनुभाग अधिकारी उ. न्या. म. प्र., खण्डपीठ ग्वालियर	1-9-1952	31-8-12 अप.
5.	कु. कृष्णा शर्मा	असि. रजिस्ट्रार, उ. न्या. म. प्र., खण्डपीठ ग्वालियर	11-10-1952	31-10-12 अप.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2011

क्र. 1032-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)1-2011-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 जुलाई 2011 द्वारा उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550—1230—58930—1380—63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री संगीता मदान	ग्वालियर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री राकेश मोहन प्रधान	रीवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
3	श्री अखिलेश शुक्ला	गुना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 1034-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री ऋतुराज बसंत कुमार	उज्जैन	गुना	गुना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	गुना
2	श्री लीलाधर बौरासी, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	धार	धार	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री शिवनारायण खरे के स्थान पर.	धार

क्र. 1035-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश ही हैसियत से, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर)	मनावर	गरोठ	मंदसौर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत	रतलाम	डिण्डौरी	डिण्डौरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
3	श्री अविनाश कुमार खरे	सुसनेर	मनावर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार (जूनियर) के स्थान पर.

टिप्पणी.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 953-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी) दिनांक 13 जुलाई 2011, जहाँ तक इसका संबंध श्री राम प्रसाद सोलंकी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा का, हरदा से डिण्डौरी स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

क्र. ए-512-तीन-10-40-78-(संशोधन)-छः .—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना क्रमांक-261-फा.-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक) दिनांक 12 जनवरी 2011 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 1 फरवरी 2011 में प्रकाशित की गई थी, में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-2010-इक्कीस-ब-(एक) दिनांक 11 मार्च 2011, द्वारा संशोधन किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक 121-2011-तीन-10-40-78-संशोधन (भाग-छः) दिनांक 24 जनवरी 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	भोपाल	भोपाल	16	भोपाल	22	भोपाल	27
				बैरसिया	1	बैरसिया	2

No. A-512-III-10-40-78 (Amendment) VI.—Consequent to the Amendment made by the State Government in its Notification No. 261-F-1-2-2010-XXI-B-(One), Dated 12th January, 2011 which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 1st February, 2011 issued under Clause (b) of Section 5 of M. P. Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) vide Government of M. P., Law and Legislative Affairs, Department Notification No. F-1-2-2010-XXI-B (1), Dated, 11th March 2011 the High Court of Madhya Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 12(1) of M. P. Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) hereby makes the following further amendment in its Notification No. 121-2011-III-10-40-78-Amendment (Part-VI), Dated 24th January, 2011 as under, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for the serial number 8 and entries relating therto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	Number of Courts	Place of Sitting	Number of Courts	Place of Sitting	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Bhopal	Bhopal	16	Bhopal	22	Bhopal	27
				Berasia	1	Berasia	2

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. ई-3154-तीन-8-4-81-भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-3700-तीन-6-4-81-भाग चार, दिनांक 20-10-2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रवीन्द्र सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, सतना	नयागांव बरौधा, मझगवां, सिंहपुर, सभापुर तथा धारकुंडी	विशेष न्यायालय, सतना

Jabalpur , dated 27th July 2011

No. E-3154-III-6-4-81-Pt.-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D/3700/III-6-4/81-Pt. IV dated 20-10-2009 namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

S. No. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Ravinder Singh, Additional Sessions Judge, Satna	Navagaon, Baroundha Majhganva, Singhpur, Sabhapur & Dharkundi.	Special Court, Satna

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्र. सी-6292-तीन-6-4-81-भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई-1416-तीन-6-4-81-भाग पांच, दिनांक 14 मार्च 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें.—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया.	राजस्व जिला दतिया	विशेष न्यायालय, दतिया

No. C-6292-III-6-4-81-Pt-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-1416-III-6-4-81-Pt. V dated 14 March 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

S. No. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Jitendra Kumar Sharma, Ist ASJ, Datia.	Revenue District, Datia	Special Court, Datia

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Jabalpur dated. 19th July 2011

No. F. No. 71-B-LA-SLSA-2011.—In excercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act), the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :—

(i) establishes Permanent Lok Adalats at the places specified in Column No. 2 of the Table below, in respect of all the public Utility Services as defined in Clause (b) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below, and all the Permanent Lok Adalats so established, shall exercise jurisdiction in their respective areas as specified in Column No. 4 of the Table below against each Permanent Lok Adalat; and

(ii) apoints, after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations, the following officers, whose designations are mentioned in Column No. 3 of the Table below against each Permanent Lok Adalat, as Chairman and Members of the aforesaid Permanent lok Adalats, namely :—

TABLE

S. No.	Place of the permanent Lok Adalt	Designation of the Officer		Areas in which permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Neemuch	Special Judge, (SC-ST Atrocities Act) Neemuch.	Chairman	Whole of the Civil District Neemuch
		Chief Medical & Health Officer, Neemuch	Member	
		Executive Engineer (Civil) P. W. D. Neemuch	Member	

Note.—Public Utility Services as defined under Clause (b) of Section 22-A of the Act "Public Utility Service" means any.—

(i) Transport serivce for the carriage of passengers or goods by air, road, or water, or

(ii) Postal, telegraph or telephone Service; or

(iii) Supply of power, light, or water to the public by any establishment; or

(iv) System of Public conservancy, or sanitation; or

(v) Service in hospital, or dispensary; or

(vi) Insurance service;

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be, may, in the public interest by notification declare to be a public Utility Service for purpose of the Chapter VI-A of the Act.

By order of the Madhya Pradesh Legal Services Authority,
ANIL KUMAR CHATURVEDI, Member-Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

एफ नं. 2-2/11/सात (4-बी).—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये जिले में पदस्थ उन समस्त सहायक अधीक्षकों, भू-अभिलेख/अधीक्षकों, भू-अभिलेख जिन्होंने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उपर्युक्त संहिता के अधीन नायब तहसीलदार/तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्रदत्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.